संख्या:25/2024/780 ई-2/तेरह-2024-1664412

प्रेषक,

दुर्गा सिंह
उप सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

आबकारी आयुक्त
उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।

आबकारी अनुभाग-2 लखनऊ::दिनांक 12 सितम्बर, 2024

विषयः- मेसर्स मालब्रोस इंटरनेशनल प्रा.लि., ग्राम-भटियुरा पृथीपुर, तहसील तिलहर, शाहजहांपुर आसवनी की अधिष्ठापित क्षमता 560 लाख लीटर वार्षिक के अन्तर्गत स्वीकृत पेय अधिष्ठापित क्षमता 70 लाख लीटर वार्षिक को घटाकर 20 लाख लीटर वार्षिक किये जाने तथा शेष क्षमता 540 लाख लीटर वार्षिक को औद्योगिक क्षमता निर्धारित किये जाने के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या:जी-29/दो-प्रा.डी.-213/मालब्रोस आसवनी, दिनांक 24-07-2024 तथा इस सम्बन्ध में प्रमुख सचिव, आबकारी विभाग, उ.प्र. शासन की अध्यक्षता में गठित समिति की बैठक दिनांक 20-08-2024 में लिए गए निर्णय सम्बन्धी कार्यवृत्त संख्या:737 ई-2/तेरह-2024-1664412, दिनांक 27-08-2024 का कृपया सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें।

2. इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उक्त संदर्भित पत्र दिनांक 24-07-2024 में आप द्वारा की गयी संस्तुति/प्रस्ताव पर सम्यक विचारोपरान्त राज्य के राजस्व एवं आद्योगिक हित तथा निवेश एवं रोजगार संवर्धन के दृष्टिगत मेसर्स मालब्रोस इंटरनेशनल प्रा.लि., ग्राम-भटियुरा पृथीपुर, तहसील तिलहर, शाहजहांपुर आसवनी इकाई की अधिष्ठापित क्षमता 560 लाख लीटर वार्षिक के अन्तर्गत स्वीकृत पेय अधिष्ठापित क्षमता 70 लाख लीटर (12.50 प्रतिशत) वार्षिक को घटाकर 20 लाख लीटर (3.57 प्रतिशत) वार्षिक किये जाने तथा शेष क्षमता 540 लाख लीटर (96.43 प्रतिशत) वार्षिक औद्योगिक क्षमता निर्धारित किये जाने की अनुमति इस प्रतिबन्ध के साथ प्रदान की जाती है कि आसवनी/इकाई द्वारा निम्नलिखित शर्तों का अक्षरशः अनुपालन करते हुये उत्पादन सुनिश्चित किया जायेगा:-

(1) ग्रेन से अल्कोहल उत्पादन किये जाने हेतु शासनादेश संख्या:33/2021-810 ई-2/तेरह-2021-107/2013 दिनांक 26-03-2021 में लगायी गयी शर्तों का अक्षरशः अनुपालन किया जायेगा एवं नियमानुसार भारत सरकार के पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय का इन्वायरमेन्टल क्लीयरेन्स एवं प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से अनापत्ति प्रमाण पत्र तथा अन्य विभागों से सुसंगत अधिनियमों/नियमों के अन्तर्गत अनापत्ति/अनुज्ञा आसवनी चलाये जाने से पूर्व प्राप्त किया जाना आवश्यक होगा।

(2) ग्रेन से अब्सोल्यूट अल्कोहल उत्पादन किये जाने हेतु इकाई द्वारा उत्पादन के परिप्रेक्ष्य में प्रयोग में लाये जाने वाले अनाज व अन्य पदार्थों की आपूर्ति को सुगम करने व अंतर्विभागीय सामंजस्य स्थापित करने एवं उत्पादनकर्ताओं की कठिनाईयों को संज्ञान लेकर उन्हें दूर किये जाने हेतु शासनादेश दिनांक 26-03-2021 के प्रस्तर-3(4)(छ) में उल्लिखित व्यवस्थानुसार मुख्य सचिव, उ.प्र. शासन की

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

अध्यक्षता में गठित स्टीयरिंग कमेटी द्वारा यथास्थिति मानव उपयोग व पशु उपयोग हेतु वांछित अनाज व अन्य पदार्थों की प्रदेश की वार्षिक आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए दिये जाने वाले निर्देशों का अनुपालन प्रश्नगत इकाई को करना होगा।

(3) इकाई द्वारा गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिसेज (जी.एम.पी.) तथा भारतीय मानक ब्यूरो (बी.आई.एस.) द्वारा निर्धारित मानको का अनुपालन करते हुए उत्पादन सुनिश्चित किया जायेगा।

(4) आसवनी द्वारा एथनॉल संचय टैंकों में राडार बेस्ड लेबल ट्रान्समीटर एवं रिसीवर तथा एथनॉल संचय टैंकों के पश्चात मास फ्लो मीटर लगाया जाना अनिवार्य होगा।

(5) इकाई द्वारा उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से जल एवं वायु हेतु प्रदत्त अनापत्ति प्रमाण पत्र दिनांक 19-04-2023 में उल्लिखित शर्तों का अनुपालन किया जाएगा।

(6) प्रकरण में अग्रतर कार्यवाही करने से पूर्व आबकारी आयुक्त, उ.प्र. द्वारा यह सुनिश्चित किया जायेगा कि इकाई पर अद्यतन कोई राजस्व देयता/बकाया नहीं है।

(7) आबकारी आयुक्त द्वारा इस संदर्भ में लागू अन्य समस्त सुसंगत नियमों/नियमावलियों व शासनादेशों का अनुपालन सुनिश्चित कराया जाएगा।

(8) आबकारी आयुक्त द्वारा लाइसेंस निर्गत किये जाने से पूर्व संबंधित जिलाधिकारी से इकाई की सरकारी बकाया न होने से संबंधित आख्या/प्रमाण पत्र प्राप्त किया जायेगा।

तदनुसार कृपया अग्रतर कार्यवाही सुनिश्चित करने का कष्ट करें।

भवदीय,

(दुर्गा सिंह)
उप सचिव।

संख्याः25/2024/780(1)ई-2/तेरह-2024,तद्दिनांकः-

उक्त की प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

(1) अपर मुख्य सचिव, वन एवं पर्यावरण विभाग, उत्तर प्रदेश
(2) अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास आयुक्त, उत्तर प्रदेश शासन।
(3) अपर मुख्य सचिव, वित्त विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
(4) अपर मुख्य सचिव, कृषि विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
(5) अपर मुख्य सचिव, उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
(6) प्रमुख सचिव, खाद्य एवं रसद विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
(7) अपर मुख्य सचिव, पशुधन विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
(8) गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(दुर्गा सिंह)
उप सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in